फर्द अहकाम

शिम्भूदयाल बनाम कल्याण

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 48/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15/10/25	कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है। प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में पारित है। अतः पत्रावली वास्ते अंतिम आदेश बाबत कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 27/10/25 को पेश हो। (सही) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	27/10/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वादी की ओर से कुरेजात रिपोर्ट के सन्दर्भ में सहमति/अनापत्ति व्यक्त की गई है तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से भी कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अवलोकन अनुसार कुरेजात रिपोर्ट विधिवत व विधिसम्मत रूप से तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रदर्शित है। जिसके संदर्भ में कोई अन्य आपत्ति किसी पक्षकार की ओर से व्यक्त भी नहीं की गई है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत तथा मान्य आपत्ति के अभाव में प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सही) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर
इजलास **डॉ लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**
वाद संख्या : 48/2025

निर्णय दिनांक : 27.10.2025

शिम्भूदयाल मीणा पुत्र बद्री नारायण मीणा
निवासी ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर जरिये मुख्यारआम रामचरण शर्मा पुत्र केशव देव शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 4 व–10 जवाहर नगर जयपुर।

वादी

बनाम

1. कल्याण पुत्र घीसा मीणा जाति मीणा
निवासी ग्राम चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी द्वारा तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट (प्रस्ताव) पर सहमति व्यक्त की गई है तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से कुर्रेजात रिपोर्ट के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। अवलोकन अनुसार भी कुरेजात रिपोर्ट विधिपूर्वक व विधिसम्मत रूप से तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रदर्शित होती है। अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2185 रकवा 0.03 हैक्टेयर वाके ग्राम चिताणुकला के संदर्भ में प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नबर	रकबा	किस्म	लगान
1 2	कल्याण पुत्र घीसा हि. 1/8 जाति मीणा सा.देह खातेदार शिम्भूदयाल पुत्र बद्रीनारायण हि. 7/8 जाति मीणा सा. निवासी ग्राम नटाटा तह. जमवारामगढ जिला जयपुर	2185	0.03	बारानी 1	0.24
	कुल किता	1	0.03	–	0.24

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	कल्याण पुत्र घीसा हि. पूर्ण जाति मीणा सा.देह खातेदार	2185/1	0.00375	बारानी 1	0.03
	कुल किता	1	0.00375	–	0.03
2	शिम्भूदयाल पुत्र बद्रीनारायण हि. पूर्ण जाति मीणा सा. निवासी ग्राम नटाटा तह. जमवारामगढ जिला जयपुर	2185/2	0.02625	–	0.21
	कुल किता	1	0.02625	–	0.21

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट निर्णय डिकी का अजूज हिस्सा रहेगी।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.10.2025 को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		स्टाम्प अर्जी दावा	02	
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर